221

आयोजनागत

संख्या–34/III(3)/2013–01(सी.आर.एफ.)/2012

प्रेषक,

धीरेन्द्र सिंह दताल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 16 जनवरी, 2013

विषय– वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–920/15 बजट (के0स0नि0)/2012–1, दिनांक 23.11.2012, शासनादेश संख्या–218/III(3)/2012–01 (सी0आर0एफ)/2012, दिनांक 28.05.2012 एवं शासनादेश संख्या–434/III(3)/2012–01 (सी0आर0एफ)/2012, दिनांक 12.09.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक 5054 में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 6000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 1100.00 लाख (₹ ग्यारह करोड मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आंवटन कर सूचना 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुमोदित लागत के विपरीत अधिक धनराशि किसी भी स्थिति में आहरित कर उपयोग न की जाय अन्यथा की स्थिति में इसका समस्त दायित्व विभागाध्यक्ष का ही माना जायेगा।

(ii) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कार्य हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि से अधिक धनराशि कार्य में व्यय कदापि न की जाय।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के विपरीत उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत सड़को के निर्माण पर ही किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करके निर्धारित समयान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि पूर्ण धनराशि के उपयोग के दो माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को भेजना सुनिश्चित नहीं करने के कारण भारत सरकार से प्रतिपूर्ति में विलम्ब होता है तो इसका समस्त दायित्व सम्बन्धित अभियन्ता का होगा।

(v) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनके व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित भौतिक/वित्तीय प्रगति के लक्ष्य के अनुरूप इस धनराशि का उपभोग भी चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

(vii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(viii) उक्त कार्य करते समय भारत सरकार द्वारा निर्देशों का अनुपालन भी किया जायेगा। व्यय अनुमोदित दरों पर ही किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय में ही किया जायेगा और विलम्ब के लिये या लागत वृद्धि के लिए सम्बन्धित अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 के लेखा शीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऍं–05–केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया कार्य (100 प्रतिशत के0स0) –24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत ₹ 1100.00 लाख (₹ ग्यारह करोड मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार अलोटमेन्ट आई0डी0 सं0– S1301220271, दिनांक 15.01.2013 द्वारा आपको आवंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है। अतः तद्नुसार अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 एवं शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0: 857/XXVII(2)/2013, दिनांक 14 जनवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

पृ.सं. 34 (1)/III(3)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य अभियंता स्तर–2, गढवाल/कुमायूं क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
8. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।